2023 का विधेयक संख्यांक 115 .

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

3. प्रतिष्ठान की स्थापना ।

4. प्रतिष्ठान के उद्देश्य ।

5. शासी बोर्ड ।

6. शासी बोर्ड की बैठकें ।

7. कार्यकारी परिषद् ।

8. कार्यकारी परिषद् की बैठकें ।

9. रिक्तियों आदि का शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् की कार्यवाहियों में अविधिमान्य नहीं होना ।

10. कार्यकारी परिषद् के कृत्य ।

11. प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद ।

12. समितियों का गठन ।

अध्याय 3

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

13. प्रतिष्ठान की निधियां ।

14. बजट ।

15. वार्षिक रिपोर्ट ।

16. लेखा और संपरीक्षा ।

17. वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

18. प्रमाणपत्र और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।

19. शासी बोर्ड की प्रत्यायोजन की शक्ति ।

20. शासी बोर्ड की निदेश जारी करने की शक्ति ।

21. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

23. नियम बनाने की शक्ति ।

खंड

24. कार्यकारी परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति ।

25. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

26. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

27. निरसन और व्यावृत्ति ।

2023 का विधेयक संख्यांक 115 .

[अनुसंधान नेशनल रिसर्च प्रतिष्ठान बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023

प्राकृतिक विज्ञान जिसमे गणितीय विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि और मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस शामिल है, के क्षेत्र में अनुसंधान, नवपरिवर्तन और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने, ऐसे अनुसंधान के लिए यथा अपेक्षित निगरानी प्रोन्नत और सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित मामलों या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए अनुसंधान, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विविध उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम को प्रारंभ करने के लिए किन्ही ऐसे उपबंधों में किसी संदर्भ से उन उपबंधों के प्रवृत्त होने के प्रति अर्थ लगाया जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत तारीख" से ऐसी तारीख जिसे केन्द्रीय सरकार धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा नियत करे, अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" से प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से धारा 12 में निर्दिष्ट कार्यपालक परिषद् समितियां अभिप्रेत हैं ;

(घ) "कार्यपालक परिषद्" से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन गठित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ङ) "प्रतिष्ठान" से धारा 3 के अधीन अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अभिप्रेत है ;

(च) "निधि" से धारा 13 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निधियां अभिप्रेत है ;

(छ) "शासी बोर्ड" से धारा 5 के अधीन गठित प्रतिष्ठान का शासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ज) "सदस्य" से शासी बोर्ड या कार्यपालक परिषद् और जिसमे यथास्थिति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति शामिल हैं, का सदस्य अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचना" पद से तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ; और

(ट) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन कार्यपालक परिषद् द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान

प्रतिष्ठान की स्थापना ।

3. (1) ऐसी तारीख से प्रभावी जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यथा अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के नाम से ज्ञात एक प्रतिष्ठान स्थापित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिष्ठान इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन शक्ति के साथ जो दोनों जंगम और स्थावर संपत्तियों को अर्जित, धारण और निपटान करने के लिए और संविदा करने, शाश्वत उत्तरधिकार और एक मुहर रखने वाला, एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा ।

प्रतिष्ठान के उद्देश्य ।

4. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन प्रतिष्ठान, अनुसंधान, नवपरिवर्तन और प्रकृति विज्ञान के क्षेत्र में उद्यमिता जिसमें गणित, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि, तथा मानवीय और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस के लिए उच्च स्तरीय नीतिगत निदेश प्रदान करने के लिए, उच्च निकाय के रूप में सेवा करेगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रतिष्ठान समुचित पहल करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :—

(क) अल्प, मध्यम और लंबी अवधि के अनुसंधान और विकास के लिए कार्य योजना तैयार करना ;

(ख) शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं विशिष्टतया: विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों जहां अनुसंधान संस्था अपनी शैशव अवस्था मे है, में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, अध्येयतावृत्तियों, शैक्षणिक पदों और उत्कृष्ठा केन्द्रों के सृजन द्वारा अनुसंधान प्रारंभ करना, वृद्धि करना और सुकर बनाना ;

(ग) पात्र व्यक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धी सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान प्रस्तावों का वित्तपोषण ;

(घ) राष्ट्रीय पूर्विक्ताओं, उभरते हुए क्षेत्रों और सामरिक अनुसंधान के मामलों पर विशिष्ट रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए वैज्ञानिक खोजों के लिए सहायक अनुसंधान अवसंरचना और वातावरण स्थापित करने में सहायता करना ;

(ङ) भारत की भूमिका को बढ़ाना और राष्ट्रीय और वैश्विक महत्व के मुख्य क्षेत्रों में भागीदारी को बढ़ाना ;

(च) गहन पूंजी प्रौद्योगिकियों में किए गए अनुसंधान का समर्थकारी अनुवाद करना;

(छ) सामाजिक विकासात्मक, वित्तीय और तकनीकी-आर्थिक चुनौतियों के वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधानों की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित कार्यक्रम विकसित करना;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान, वैज्ञानिक अनुसंधान और उनके परिणामों पर व्यय का अभिलेख और विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, लोक प्राधिकारियों, उद्यमों और अनुसंधान संस्थाओं में समन्वय करना और केन्द्रीय सरकार को उसकी रिपोर्ट करना;

(झ) अंतरराष्ट्रीय सहयोगकारी परियोजनाओं में भागीदारी विकसित करना और वैज्ञानिक जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना;

(ञ) भारतीय वैज्ञानिक पारिस्थिति तंत्र को समृद्ध करने की दृष्टि से भारतीय मूल के वैज्ञानिकों सहित भारत के भीतर और बाहर के वैज्ञानिकों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करना; और

(ट) पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर इकाईयों को प्रतिष्ठान की गतिविधियों में विनिधान करने के लिए प्रोत्साहित करना ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अतिरिक्त, प्रतिष्ठान जहां तक व्यवहार्य हो, स्वयं या इस संबंध में अभिलक्षित उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से, ऐसे अनुसंधान से संबंधित जानकारी और डाटा के संग्रहण, निर्वचन और विश्लेषण के लिए एक केन्द्रीय भंडार सृजित करने की दृष्टि से, भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों का वार्षिक सर्वेक्षण करेगा और ऐसे भंडारके उद्देश्य मेंकेन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को नीति निर्माण के लिए जानकारी और सलाह देना सम्मिलित है:

परंतु इस उपधारा में निर्दिष्ट सर्वेक्षण में शासी बोर्ड द्वारा यथा अवधारित अनुसंधान के किसी सामरिक क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(4) प्रतिष्ठान, धारा 5 के अधीन गठित शासी बोर्ड के माध्यम से उपरोक्त

उद्देश्यों को पूरा करेगा ।

शासी बोर्ड ।

5. (1) एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा जो उच्चस्तरीय सामरिक निदेश का पालन करेगा और प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के कार्यान्वयन की मानीटरी करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट शासी बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) भारत के प्रधानमंत्री, पदेन - अध्यक्ष;

(ख) केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्री पदेन - उपाध्यक्ष;

(ग) केन्द्रीय शिक्षा मंत्री, पदेन - उपाध्यक्ष;

(घ) नीति आयोग का विज्ञान और प्रौद्योगिकी से व्यौहार करने वाला सदस्य, पदेन - सदस्य;

(ङ) भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, पदेन - सदस्य;

(च) भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का सचिव, पदेन - सदस्य;

(छ) भारत के जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सचिव, पदेन - सदस्य;

(ज) भारत के उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव, पदेन - सदस्य; और

(झ) भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, पदेन - सदस्य सचिव ।

(3) शासी बोर्ड का अध्यक्ष शासी निकाय में निम्नलिखित सदस्यों को नामनिर्दिष्ट या नियुक्त कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रोद्योगिकी और नवाचार परिषद् के दो से अनधिक सदस्य;

(ख) कारबार, संगठन या उद्योग के पांच से अनधिक सदस्य;

(ग) मानवीकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र का एक सदस्य;

(घ) वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास में लगी हुई संस्था के दो से अनधिक सदस्य;

(ङ) छह से अनधिक सदस्य जिनके पास स्वास्थ्य, गणित और भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा साझेदारी, कंप्यूटर और सूचना विज्ञान तथा इंजीनियरी के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान हो ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट शासी बोर्ड के सदस्यों और विशेषज्ञों की अर्हताएं, अनुभव, मानदेय और देय भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधनें और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

शासी बोर्ड की बैठकें ।

6. (1) शासी बोर्ड, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा तथा ऐसी बैठकों में गणपूर्ति सहित अपनी बैठकों में कारबार संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) यदि अध्यक्ष, किसी कारण से शासी बोर्ड की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो कोई भी उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

कार्यकारी परिषद् ।

7. (1) शासी बोर्ड का अध्यक्ष, इस अधिनियम की उपबंधों को लागू करने के लिए एक कार्यकारी परिषद् का गठन करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यकारी परिषद्, शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, पदेन - अध्यक्ष;

(ख) सचिव, भारत सरकार, विज्ञान और तकनीकी विभाग, पदेन - सदस्य ;

(ग) सचिव, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पदेन - सदस्य ;

(घ) सचिव, भारत सरकार, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, पदेन - सदस्य:

(ङ) सचिव, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पदेन - सदस्य ;

(च) सचिव, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, पदेन - सदस्य ;

(छ) सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, पदेन - सदस्य ;

(ज) सचिव, भारत सरकार, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, पदेन - सदस्य ;

(झ) सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, पदेन - सदस्य

(ञ) सचिव, भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग , पदेन - सदस्य

(ट) सचिव, भारत सरकार, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, पदेन - सदस्य ; और

(ठ) धारा 11 के अधीन नियुक्त प्रतिष्ठान का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पदेन - सदस्य सचिव ।

(3) शासी निकाय का अध्यक्ष कार्यकारी परिषद् के लिए निम्नलिखित सदस्यों को भी नामनिर्देशित या नियुक्त कर सकता है अर्थात :—

(क) भारत सरकार के ऐसे अन्य विभागों या अन्य मंत्रालयों के सचिवों के मध्य दो पदेन सदस्यों से अनधिक, जो उपधारा (2) में निर्देशित नहीं हैं, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ख) ऐसे सुभिन्न विशेषज्ञों के मध्य तीन से अनिधिक सदस्य, जिन्हें अकादमी, लोकोपकारी क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला तथा उद्योगोंं के क्षेत्र में विनिर्दिष्ट ज्ञान है ।

(4) उपधारा (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव, मानदेय तथा संदेय भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें इस प्रकार दी जाएंगी, जो विहित की जाएं ।

कार्यकारी परिषद् की बैठकें ।

8. (1) कार्यकारी परिषद् ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों के कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियम का संप्रेक्षण करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि सभापति कार्यकारी की बैठक में किसी कारण से उपलब्ध नहीं है, अन्य सदस्यों द्वारा चयन किए गए सदस्य बैठक को पूर्ण करेंगे ।

(3) अध्यक्ष कार्यकारी की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों का कार्य और निर्वहन करेगा, जो शासी निकाय द्वारा प्रख्यापित की जा सकेगी ।

रिक्तियों आदि का शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् की कार्यवाहियों में अविधिमान्य नहीं होना ।

9. शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् के गठन में किसी रिक्ति में अथवा किसी विफलता ;

(ख) शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में विफलता ;

(ग) शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् की प्रक्रिया में कोई अनियमितता, जो मामले की प्रतिभा को प्रभावित नहीं करती ।

कार्यकारी परिषद् के कृत्य ।

10. कार्यकारी परिषद् शासी निकाय द्वारा प्रदान किए गए निदेश और दिशा-निर्देश की नीति के आधार पर प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को क्रियान्वित करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे मंजूरी के लिए आवश्यक अवधारणा के रूप में पात्र मानदंड के अनुसार वित्तीय सहायता को मंजूर करने के लिए आवेदनों पर विचार करना ;

(ख) विनियमों के माध्यम से अवधारित करना,—

(i) रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षाएं, वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु प्ररूप और नीति ;

(ii) रिपोर्ट और प्रमाणपत्र को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना,

(iii) वित्तीय सहायता के विस्तार की अपेक्षा ; और

(iv) वित्तीय सहायता के प्रतिसंहृण के लिए आधार,

(ग) किसी वित्तीय सहायता की प्रसुविधा करना तथा प्रदान करना, जो इस अधिनियम के अधीन वित्तीय सहायता के माध्यम से अपनाए जाने वाले अनुसंधान के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए आवेदनों को भरने की अपेक्षा की जा सके; और

(घ) कोई अन्य कृत्य, जो शासी निकाय द्वारा समय-समय पर प्रत्यायोजित किया जा सके ।

प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारीवृंद ।

11. (1) शासी निकाय का अध्यक्ष प्रतिष्ठान के पर्याप्त प्रशासन के लिए भारत सरकार के अपर सचिव पंक्ति से अन्यून मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्त कर सकता है ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव, संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें उस रूप में होंगी, जो विहित की जाएं ।

(3) कार्यपालक परिषद् ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति कर सकेगा, जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के पर्याप्त निर्बहन के लिए आवश्यक रूप से विचारणीय हो ।

(4) प्रतिष्ठान के अन्य अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की अर्हताएं, अनुभव, संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें उस रूप में होंगी, जो विहित की जाएं ।

(5) कार्यकारी परिषद् भारत के भीतर और बाहर दोनों स्थान से, ऐसे व्यक्तियों की सेवाओं को प्रतिष्ठान में परामर्शदाता और अभ्यागत वैज्ञानिकों के रूप में लगा सकेगी ।

(6) उपधारा (5) में निर्दिष्ट परामर्शदाता और अभ्यागत वैज्ञानिकों के पात्रता मानदंड और संदेय मानदेय ऐसे होंगे जो इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

समितियों का गठन ।

12. (1) कार्यकारी परिषद् उतनी समितियों का गठन कर सकेगी जितनी इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन और कृत्यों को करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) कार्यकारी परिषद्, उपधारा (1) के अधीन गठित किन्हीं समितियों के सदस्यों के रूप में, शासी निकाय या कार्यकारी परिषद् सदस्यों से भिन्न, अन्य व्यक्तियों को भी सहयोजित कर सकेगी ।

(3) सहयोजित सदस्यों को समितियों की बैठकों में भाग लेने और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु विनिश्चय करने में भागीदारी का अधिकार नहीं होगा ।

अध्याय 3

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

प्रतिष्ठान की निधियां ।

13. (1) प्रतिष्ठान, निम्नलिखित स्रोतों से धन प्राप्त करेगा, अर्थात् :—

(क) संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् प्रतिष्ठान को ऐसे अनुदानों और अनुदानों के रूप में उतनी राशियां जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे ;

(ख) शोध और विकास के लिए प्राप्त हुई कोई राशियां, जिसके अंतर्गत किसी अन्य स्रोत, जिसमें पब्लिक सेक्टर उपक्रम, प्राइवेट सेक्टर,परोपकारक संगठन,प्रतिष्ठान या अंतरराष्ट्रीय निकाय भी हैं, से संदान के माध्यम से भी है ;

(ग) प्रतिष्ठान को अनुदत्त रकम से की गई वसूलियां ;

(घ) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त रकमों के विनिधान से कोई आय ;

(ङ) नियत तारीख तक, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 के अधीन विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान के लिए निधि की सभी रकम ;

2009 का 9

(च) ऐसे अन्य स्रोत जो विहित किए जाएं ।

(2) शासी बोर्ड, निम्नलिखित निधियां गठित करेगा जिसमें यह उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) से प्राप्त हुई रकमों को ऐसी रीति में, जो यह ठीक समझे, आबंटित करेगा, अर्थात् :—

(क) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान निधि, जो इस अधिनियम के अधीन क्रियाकलापों के वित्त पोषण के लिए प्रयुक्त की जाएगी, जिसके अंतर्गत प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वेतन, भत्ते और अन्य अत्यावश्यक प्रशासनिक व्यय भी हैं ;

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित क्षेत्रों में उत्कृष्ट सृजन के समर्थन हेतु नवोन्मुखी निधि ;

(ग) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 के अधीन आरंभ परियोजनाओं और कार्यक्रमों के जारी रहने हेतु विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि ; और

2009 का 9

(घ) किसी विशिष्ट परियोजना या अनुसंधान के लिए एक या अधिक प्रयोजनों हेतु निधि ।

(3) शासी बोर्ड ऐसे समय के लिए, जो यह आवश्यक समझे, उपधारा (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान निधि रखेगा और ऐसी निधि निम्नलिखित रकमों के लिए आबंटित करेगा, अर्थात् :—

(क) उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन सभी रकम ; और

(ख) प्रतिष्ठान द्वारा प्राप्त निधियों के अन्य स्रोतों से कोई और ऐसी रकम जो कार्यकारी परिषद् द्वारा किए पनुर्विलोकन और मूल्यांकन के आधार पर ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवधारित की जाए ।

(4) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन स्थापित निधियों में रकमों के उपयोग हेतु ऐसे वित्तीय नियम बनाएगी ।

बजट ।

14. कार्यकारी परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट तैयार करेगी, जिसमें शासी बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित प्रतिष्ठान की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे और उसे केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

15. कार्यकारी परिषद्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा विवरण दिया जाएगा और उसकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजेगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

16. (1) कार्यकारी परिषद्, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में तैयार करेगी, जैसा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप में बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज तथा कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्रतिष्ठान के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(3) प्रतिष्ठान के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रतिवर्ष की जाएगी और उस संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय, प्रतिष्ठान द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(4) कार्यकारी परिषद् ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाए, अपने लेखाओं की संपरीक्षित प्रति संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार को भेजेगी ।

वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

17. केन्द्रीय सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट, उसकी प्राप्ति के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

प्रमाणपत्र और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना ।

18. (1) प्रतिष्ठान से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप और रीति से तथा ऐसे समय पर, जैसा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कार्यकारी परिषद् को प्रमाणन और रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) कार्यकारी परिषद्, किसी अधिकारी को किसी भी शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योगों और अन्य संगठनों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है, जिसके साथ उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति संबंधित है, जो किसी भी समय इस धारा के अधीन बनाया गया प्रमाणपत्र या रिपोर्ट की सटीकता को सत्यापित कर सकती है ।

शासी बोर्ड की प्रत्यायोजन की शक्ति ।

19. शासी बोर्ड, राजपत्र में प्रकाशित, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, कार्यकारी परिषद्, कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसको अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, जैसा वह आवश्यक समझे, जिसमें प्रशासनिक और वित्तीय मामलें सम्मिलित हैं, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

शासी बोर्ड की निदेश जारी करने की शक्ति ।

20. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कार्यकारी परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के निर्वहन और अपने कृत्यों के पालन में, ऐसे निदेशों से आबद्ध होगी, जो शासी बोर्ड, समय-समय पर, उसे लिखित में दे ।

(2) कार्यकारी परिषद्, अपनी गतिविधियों के संबंध में शासी बोर्ड को ऐसी जानकारी देगी, जिसकी शासी बोर्ड को, समय-समय पर, आवश्यकता हो ।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना ।

21. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

22. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, केन्द्रीय सरकार या शासी बोर्ड या कार्यकारी परिषद् या शासी बोर्ड के या कार्यकारी परिषद् के किसी सदस्य, या प्रतिष्ठान की किसी समिति, अधिकारी या कर्मचारी, या केन्द्रीय सरकार या प्रतिष्ठान द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

23. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, ऐसे नियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन शासी बोर्ड के सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव, उनको देय मानदेय और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कार्यकारी परिषद् के सदस्यों और

विशेषज्ञों की अर्हताएं, अनुभव, उनको देय मानदेय और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अर्हताएं, अनुभव, उनको देय मानदेय और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएं, अनुभव, उनको देय मानदेय और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अन्य स्रोत, जहां से प्रतिष्ठान धन प्राप्त करता है ;

(च) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन निधियों में रकम के उपयोग के लिए वित्तीय नियम ;

(छ) धारा 14 के अधीन अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने के लिए प्ररूप, रीति, समय और अंतराल ;

(ज) धारा 15 के अधीन कार्यकारी परिषद् द्वारा वार्षिक रिपोर्ट बनाने के लिए प्ररूप, रीति और समय ;

(झ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी परिषद् द्वारा लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ खातों की लेखापरीक्षित प्रति जमा करने की तारीख ;

(ट) धारा 27 की उपधारा (3) के खंड (ख) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रतिष्ठान को बोर्ड द्वारा अंतरित धन के साथ निपटने की रीति ;

(ठ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं ।

कार्यकारी परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति ।

24. (1) कार्यकारी परिषद्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों से असंगत न हो ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शासी बोर्ड की बैठकों का समय, स्थान और उनके कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम और गणपूर्ति ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी परिषद् की बैठकों का समय, स्थान और उनके कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के नियम और गणपूर्ति ;

(ग) धारा 10 के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षाएं, वित्तीय

सहायता के लिए आवेदन करने हेतु प्ररूप और रीति, वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें और प्रमाणीकरण, वित्तीय सहायता का विस्तार और वित्तीय सहायता वापस लेने के आधार ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन परामर्शदाताओं तथा अतिथि वैज्ञानिकों के लिए पात्रता मापदंड और संदेय मानदेय ;

(ङ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिष्ठान को प्रमाणीकरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप, रीति और समय ; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

25. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि, उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा, तथापि, ऐसे किसी परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

26. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकार, प्रतिष्ठान की सिफारिश पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

2009 का 9

27. (1) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अधीन गठित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड विघटित समझा जाएगा ।

(2) तथापि, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड का विघटन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा,—

(क) धारा 13 की उपधारा (3) के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई ;

(ख) निरसित अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से किया गया कोई पूर्ववर्ती प्रचालन या की गई कोई बात ;

(ग) निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित या उद्भूत या उपगत कोई

अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ; और

(घ) निरसित अधिनियम के अधीन लंबित या चल रही कोई कार्यवाही ।

(3) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के विघटन पर,—

(क) विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के संबंध में उसका हिस्सा बनने वाली या प्रयुक्त सभी आस्तियां, दायित्व और अन्य सुविधाएं, प्रतिष्ठान की आस्तियां समझी जाएंगी ;

(ख) कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के विघटन के ठीक पूर्व विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड द्वारा नियमित आधार पर नियोजित था, ऐसे विघटन से ही, ऐसी रीति में पेंशन, उपदान और अन्य समान विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ क्रमश: प्रतिष्ठान का अधिकारी या कर्मचारी हो जाएगा, जो उसे अनुज्ञेय होते, यदि विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, प्रतिष्ठान को अंतरित और उसमें निहित नहीं हुआ होता, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, और प्रतिष्ठान में उसका नियोजन सम्यक् रूप से सेवासमाप्त होने या प्रतिष्ठान द्वारा सम्यक् रूप से उसका पारिश्रमिक, नियोजन के निबंधन और शर्तें परिवर्तित किए जाने तक जारी रहेगा :

परंतु औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड में नियोजित किसी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाओं का प्रतिष्ठान में अंतरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं बनाएगा और ऐसा कोई दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा नहीं सुना जाएगा : 1947 का 14

परंतु यह और कि जहां विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड ने विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड में नियोजित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण या अन्य निधि की स्थापना की है, तो अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित धन, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा प्रतिष्ठान को अंतरित की गई हैं, भविष्य निधि, अधिवर्षिता, कल्याण या अन्य निधि में उसके नाम जमा धन में से, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड के विघटन पर प्रतिष्ठान को अंतरित हो जाएगा और उसमें निहित होगा, तथा ऐसा धन, जो इस प्रकार अंतरित किया जाता है, उक्त प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी रीति में व्यवहार किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशिष्ट मामलों का उल्लेख, निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण रूप से लागू होने पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव नहीं डालेगा या प्रभावित नहीं करेगा 1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह अनुसंधान और विकास, वैज्ञानिक खोजों, नई प्रौद्योगिकियों और अभिनव अनुपयोगों की आधारशिला है । प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की सफलता और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न आयामों में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है । विज्ञान के सभी क्षेत्रों में एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का विकास आवश्यक है । इसमें गणीतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि, साथ ही साथ मानवीकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस सम्मिलित है ।

2. विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 (विज्ञान अधिनियम) ने अब तक ऐसे अनुसंधान में लगे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के माध्यम से आधारिक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान किया है । तथापि, विज्ञान अधिनियम के माध्यम से गठित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का पैमाना और क्षेत्र सीमित है और यह देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थिकी तंत्र में निर्णायक बदलाव लाने में सक्षम है ।

3. अनुसंधान और नवाचार के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से एकीकृत योजना और समन्वय की आवश्यकता है । हमारे देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित मानव संसाधनों का एक विशाल समूह है, जिनमें से कई भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में वैज्ञानिक अनुसंधान के अवसर तलाश सकते हैं ।

4. सभी के लिए अवसरों को पूर्ण अभिव्यक्ति देने और भारत के भीतर अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मजबूत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना महत्वपूर्ण है । इसके लिए सरकारी संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर संगठनों में इस तरह का अनुसंधान करने की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है । वित्तीय रूप से व्यवहार्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के वित्तीय संसाधनों का दोहन करना भी आवश्यक है ।

5. उपरोक्त के आलोक में, गणीतीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषिके साथ-साथ मानवीकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय सामरिक निदेश प्रदान करने और विज्ञान अधिनियम को निरसित करने के लिएअनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान(प्रतिष्ठान) की स्थापना की दृष्टि से एक नया विधान, अर्थात्, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 अधिनियमित करने का प्रस्ताव किया जाता है । प्रस्तावित नए विधान का उद्देश्य, वैज्ञानिक खोज के लिए भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान अवसंरचना, ज्ञान उद्यमिता और नवाचार क्षमता को बढ़ाना है ।

6. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं, एक बहुत ही जीवंत विश्वस्तरीय सक्षम वैज्ञानिक पारिस्थितिक तंत्र का सृजन करना है ।

7. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को विस्तृत रूप से

वर्णित करता है ।

8. विधेयक निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए है ।

नई दिल्ली:
29 जुलाई, 2023

डा0 जितेन्द्र सिंह

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1, ''संक्षिप्त नाम और प्रारंभ'' से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 2, ''परिभाषाओं'' से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त कतिपयों पदों की परिभाषाओं का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 3, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की स्थापना से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के खंड 4 में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान नाम से ज्ञात एक प्रतिष्ठान की स्थापना करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 4, प्रतिष्ठान के उद्देश्य से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि प्रतिष्ठान देश में शोध, नवोन्मुख और उद्यम के लिए उच्च स्तर रणनीति हेतु निदेश देने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में एक प्रतिष्ठान का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5, शासी बोर्ड से संबंधित है ।

यह खंड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले प्रतिष्ठान के शासी बोर्ड की संरचना औरनउच्च स्तरीय सणनीति संबंधी निदेशों तथा प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के कार्यान्वयन को मानीटर करने का उपबंध हेतु है ।

विधेयक का खंड 6, शासी बोर्ड की बैठक से संबंधित है ।

यह खंड शासी बोर्ड की बैठकों में कार्य का संव्यवहार का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 7, कार्यकारी परिषद् से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के उपबंधों का कार्यान्वयन करने हेतु कार्यकारी परिषद् के गठन का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 8, कार्यकारी परिषद् की बैठक से संबंधित है ।

यह खंड कार्यकारी परिषद् की बैठकों में कार्य का संव्यवहार का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 9, शासी बोर्ड या कार्यकारी परिषद् में ''रिक्ति, आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना'' से संबंधित है ।

यह खंड शासी बोर्ड या कार्यकारी परिषद् में रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना, के आधारों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 10, कार्यकारी परिषद् के कृत्य से संबंधित है ।

यह खंड, उक्त खंड में विनिर्दिष्ट कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्वहन किए जाने वाले विभिन्न कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 11, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रतिष्ठान के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी से संबंधित है ।

यह खंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी परिषद् के अन्य अधिकारियों और

कर्मचारियों तथा परामर्शदाताओं और आगंतुक वैज्ञानिकों की सेवा में लगे हुए व्यक्तियों की नियुक्ति और उनकी अर्हता, अनुभव और उनकी सेवा के निबंधन और शर्तों तथा उनको संदेय वेतन और भत्ता का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 12, समितियों का गठन से संबंधित है ।

यह खंड कार्यकारी परिषद् को उसके कर्तव्यों और कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए समितियां गठित करने और ऐसी समितियों में विशेषज्ञ व्यक्तियों को सहयोजित करने हेतु सशक्त करती हैं ।

विधेयक का खंड 13, प्रतिष्ठान की निधियां से संबंधित है ।

यह खंड प्रतिष्ठान की निधियां गठित करने का उपबंध करने के लिए है, जिसके अंतर्गत अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान निधि, नवोन्मुखी निधि, विज्ञान और इंजीनियरी शोध निधि और कुछ विशेष प्रयोजन निधियां, भी सम्मिलित हैं ।

विधेयक का खंड 14, बजट से संबंधित है ।

यह खंड प्रतिष्ठान के वार्षिक बजट के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिष्ठान का बजट तैयार करने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 15, वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित है ।

यह खंड पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिष्ठान के क्रियाकलापों का पूर्ण लेखा देते हुए प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने को कार्यकारी परिषद् को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 16, लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है ।

यह खंड उचित लेखा रखने और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उसके वार्षिक रूप से संपरीक्षा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 17, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट के संसद् के समक्ष रखे जाने से संबंधित है ।

यह खंड वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक की रिपोर्ट का संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रत्येक वर्ष रखे जाने की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 18 "प्रमाणन और रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना" से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि प्रतिष्ठापन से किसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र और उसके संबंध में किए गए अनुसंधान कार्य के संबंध में रिपोर्ट कार्यकारी परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा ।

विधेयक का खंड 19 "शासी बोर्ड की शक्ति का प्रत्यायोजन" से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद्, परिषद् के अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, कतिपय शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, अपनी कतिपय शक्तियों और कृत्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

विधेयक का खंड 20 "शासी बोर्ड की निदेश जारी करने की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड कार्यकारी परिषद् को निदेश जारी करने के लिए शासी बोर्ड को सशक्त करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 21 "अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना" से संबंधित

है ।

यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे ।

विधेयक का खंड 22 "सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण" से संबंधित है ।

यह खंड उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी भी बात के लिए, केन्द्रीय सरकार, शासी बोर्ड, कार्यकारी परिषद् या किसी समिति के सदस्यों और प्रतिष्ठान के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध, कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

विधेयक का खंड 23 "नियम बनाने की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 "कार्यकारी परिषद् की विनियम बनाने की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए विनियम बनाने के लिए कार्यकारी परिषद् को सशक्त करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 25 "नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना" से संबंधित है ।

यह खंड प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने का उपबंध करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 "कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति" से संबंधित है ।

यह खंड, अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को, दो वर्ष की अवधि के भीतर, दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 27 "निरसन और व्यावृत्तियां" से संबंधित है ।

यह खंड, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 का निरसन करने तथा उसके अधीन की गई कार्रवाइयों की व्यावृत्ति का उपबंध करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान के उद्देश्यों के लिए जिसमें इसके उद्देश्यों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों का वित्तपोषण शामिल हैं, का उपबंध करता है ।

खण्ड 5 का उपखंड (4) शासी बोर्ड के नामनिर्दिष्ट सदस्यों के मानदेय और भत्तों के लिए उपबंध बनाता है ।

विधेयक का खंड 7, कार्यपालक परिषद् की स्थापना करने के लिए है । उक्त खण्ड का उपखंड (4), कार्यपालक परिषद् के विशेषज्ञ सदस्यों के मानदेय और भत्तों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11, मुख्य कार्यपालक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए है । उक्त खंड का उपखंड(2), मुख्य कार्यपालक अधिकारी को देय वेतन और भत्तों के लिए उपबंध करता । उक्त खंड का उपखंड(4), कार्यपालक परिषद् के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्तों के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (5) परामर्शदाताओं और अभ्यागत वैज्ञानिकों की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (6) परामर्शदाताओं और अभ्यागत वैज्ञानिकों को देय मानदेय के लिए उपबंध करता है ।

खंड 13 यह उपबंध करता है कि संसद् द्वारा किए गए विनियोग के पश्चात्, विधि द्वारा केंद्रीय सरकार प्रस्तावित विधायनों के प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु ऐसी रकम जिसे केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, अनुदान और ऋण के माध्यम से प्रतिष्ठान को प्रदान कर सकेगी । उक्त खंड और यह उपबंध करता है कि प्रतिष्ठान दान, वसूली, विनिधान और विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड अधिनियम, 2008 के अधीन गठित 'विज्ञान और इंजीनियरी निधि' से धनराशिओं के माध्यम से राशि ग्रहण कर सकेगा ।

खंड 16 प्रतिष्ठान के खातों और अन्य अभिलेखों के रखरखाव के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड (3) यह उपबंध करता है कि प्रतिष्ठान की संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

2. प्रस्तावित विधान के उपबंधों को, यदि अधिनियमित किया जाता है, तो इसे भारत की संचित निधि से और उसके ऊपर पांच वर्ष से अवधि की के लिए चौदह हजार करोड़ रुपए के आवर्ती या अनावर्ती व्यय के अन्तर्वलित होने की संभावना है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023 (विधेयक) का खंड 23 केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । इन मामलों में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित है :—

(क) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन शासी निकाय के सदस्यों की अर्हता, अनुभव, मानदेय और देय भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन कार्यकारी परिषद् के सदस्यों की अर्हता, अनुभव, मानदेय और देय भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें;

(ग) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अहर्ताएं, अनुभव, वेतन और देय भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें;

(घ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अहर्ता, अनुभव, वेतन और देय भत्ते और अन्य निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अन्य स्रोत, जहां से प्रतिष्ठान को धन प्राप्त होता है;

(च) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन निधियों में राशि के उपयोग के लिए वित्तीय नियम;

(छ) धारा 14 के अधीन अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने का प्ररूप, रीति, समय और अंतराल ;

(ज) धारा 15 के अधीन कार्यकारी परिषद् द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप, रीति और समय ;

(झ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी परिषद् द्वारा खातों का वार्षिक विवरण तैयार करने का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ खातों की लेखा परीक्षित प्रति जमा करने की तारीख ;

(ट) धारा 27 की उपधारा (3) के खंड (ख) के दूसरे उपबंध के अधीन बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठान को हस्तांतरित धन से निपटने की रीति ; और

(ठ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ;

2. विधेयक का खंड 24 कार्यकारी परिषद् को विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । ऐसे मामलों के संबंध में जिसमें कार्यकारी परिषद् अन्य बातों के साथ नियम बना सकती है, जिसके अंतर्गत :—

(क) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शासी निकाय की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारी परिषद् की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में समय, स्थान और प्रक्रिया;

(ग) धारा 10 के खंड (ख) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट और प्रमाणन के साथ वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रीकरण, प्ररूप और रीति की अपेक्षाएं ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (6) के अधीन सलाहकारों और अतिथि वैज्ञानिकों को संदेय पात्रता मानदंड और मानदेय ;

(ङ) है धारा 18 की उपधारा (1) प्रतिष्ठान के लिए प्रमाणन प्रस्तुत करने और रिपोर्ट करने का प्ररूप, रीति और समय ; और

(च) कोई अन्य मामला जो विनियमों द्वारा अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जा सकता है या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाता हो ।

3. वे विषय जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम और विनियम बनाए जा सकते हैं, ब्यौरे के विषय हैं और उनके संबंध में स्वयं विधेयक में उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अत: विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।